न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 450/2019 (194/2019)

GCMS NO. : 2019/00185

-:: प्रार्थीगण ::- **बनाम** **-:: अप्रार्थीगण ::-**

प्रार्थीगण:

1. सत्यदेव पुत्र शुभकरण
2. महादेव पुत्र किशनदान
3. रामचन्द्र पुत्र किशनदान

जातियान चारण निवासीगण कांवलिया खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

अप्रार्थीगण:

1. श्रवणसिंह पुत्र शक्तिदान
2. भंवरसिंह पुत्र रामसिंह
3. अर्जुनसिंह पुत्र भोपालदान
4. सज्जनसिंह पुत्र भोपालदान
5. मनोहरदान पुत्र अचलदान
6. धनदान पुत्र अचलदान (फौत) के का.मु.
   - 6/1. ललित कुमार पुत्र धनदान
   - 6/2. महेन्द्रसिंह पुत्र धनदान
   - 6/3. लक्ष्मीकंवर पत्नी धनदान
   - 6/4. सरोज कंवर पुत्री धनदान
7. रामसिंह पुत्र भोपालदान
8. हरिसिंह पुत्र शक्तिदान
9. ममायदान पुत्र शक्तिदान
10. शायर कंवर पत्नी शक्तिदान
11. गेपालदान पुत्र मुरारदान
12. सज्जनसिंह पुत्र भेरूदान
13. ओमप्रकाश पुत्र भेरूदान
14. गुलाबसिंह पुत्र भरूदान
15. राजेन्द्रसिंह पुत्र रिड़मलदान
16. सेणीदान पुत्र रिड़मलदान
17. चिरंजीवसिंह पुत्र रिड़मलदान
18. रतनदान पुत्र मदनदान
19. अणदु कंवर पुत्री पाबुदान के का.मु.
   - 19/1. खेतदान पुत्र मानदान व अणदु कंवर
20. थानकंवर पुत्री पाबुदान के का. मु.
   - 20/1. जयसिंह पुत्र चांवडदान व थान कंवर
21. शायर कंवर पुत्री पाबुदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

22. मोतीसिंह पुत्र जुगतीदान के का. मु.
    22/1. नरेन्द्रसिंह पुत्र मोतीसिंह
    22/2. सुजानसिंह पुत्र
23. माधुसिंह पुत्र दानसिंह
24. गोविन्दसिंह पुत्र दानसिंह
25. मोहनसिंह पुत्र दानसिंह
26. किशनसिंह पुत्र दानसिंह
27. कैलाशदान पुत्र दानसिंह
28. सम्पत कंवर पुत्री दानसिंह
29. सज्जन कंवर पुत्री दानसिंह
30. मोहनसिंह पुत्र रामप्रताप
31. कैलाश दान पुत्र रामप्रताप
32. किशनसिंह पुत्र रामप्रताप के का.मु.
    32/1. कालुसिंह पुत्र किशनसिंह
    32/2. गोमसिंह पुत्र किशनसिंह
33. सहदेवसिंह पुत्र रामप्रताप
    जातियान चारण निवासीगण कांवलिया खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली।
34. गंगादान पुत्र अम्बादान के का. मु. गोपालसिंह दत्तक पुत्र गंगादान
35. जोरदान पुत्र ईश्वरदान (नाऔलाद फौत) के उत्तराधिकारी लक्ष्मणदान पुत्र गिरवरदान
36. जवाहर दान पुत्र ईश्वरदान (नाऔलाद फौत) के उत्तराधिकारी लक्ष्मणदान पुत्र गिरवरदान
37. शिम्भुदान पुत्र ईश्वरदान (नाऔलाद फौत) के उत्तराधिकारी लक्ष्मणदान पुत्र गिरवरदान
38. गायड़दान पुत्र नौरतदान के का. मु. लादुदान पुत्र गायड़दान
    भंवरदान पुत्र भगतदान के का. मु. शिवराजसिंह पुत्र भंवरदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

40. बलदान पुत्र भगतदान के का. मु. शुभकरण पुत्र हरदान
41. हरदान पुत्र भगतदान के का.मु. शुभकरण पुत्र हरदान
42. मूलदान पुत्र किशोरदान के का. मु.
    42/1. बिहारीसिंह पुत्र मूलदान
    42/2. चन्द्रसिंह पुत्र मूलदान
    42/3. सुखदेवसिंह पुत्र मूलदान
43. ओमदान पुत्र किशोरदान के का. मु. बिहारीसिंह पुत्र मूलदान जातियान चारण निवासीगण कुशलपुरा, तहसील लाडनू जिला नागौर।
44. तहसीलदार, जैतारण जिला पाली।
45. आर एम जी0 बी0 शाखा–आ. कालू तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकास्मा आराजी अन्तर्गत धारा 88 ,92ए एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 30/09/2019

उपस्थितः–

1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 21/10/2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकास्मा आराजी अन्तर्गत धारा 88, 92ए एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 से 43 की शामलाती व कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा कांवलिया खुर्द में वाके है जिसका विवरण निम्न है–खसरा संख्या 466 रकबा 0. 01 किस्म गै.बेरा, खसरा नम्बर 467 रकबा 07.10 किस्म बारानी लगान 2. 33 दोयम कुल खसरा 2 कुल रकबा 07–11 बीघा कुल लगान 2.33 आई हुई है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि ... जाव सरहद मोजा कांवलिया खुर्द में वाके है जिसका वादी व प्रतिवादीगण ... खातेदार काश्तकार है उपरोक्त वर्णित भूमि की जमाबंदी खतौनी संवत् 2066–2070 की प्रमाणित प्रति वाद के

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

साथ पेश है जिसे वाद का एक भाग माना जावे। वाद के पद संख्या 1 में वर्णित बेरा करणी सागर उर्फ कनेर कुल रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/3 हिस्सा है व प्रतिवादी संख्या 7 से 33 का 1/6 हिस्सा है व वादीगण का वक्त सेंटलमेंट के पूर्व से 1/6 हिस्सा है व प्रतिवादी संख्या 34 से 43 को जो सभी ग्राम कुशलपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर का वक्त जागीर बतौर जागिरदार के 1/3 हिस्सा था इस नाते प्रतिवादी संख्या 34 से 43 जमाबंदी खतौनी में बतौर खातेदार के गलत रूप से दर्ज हो गया मगर उक्त प्रतिवादी संख्या 34 से 43 का वादगस्त जीमीन के 1/3 हिस्से पर कभी कोई कब्जा व काश्त नहीं रहा बल्कि वादीगण व उनके स्व0 पिता शुभकरण जी का 15.10.1955 के पूर्व से बतौर खातेदार काश्तकार के कब्जा व काश्त चला रहा है व उक्त 1/3 हिस्से मे वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादी संख्या 34 से 43 का नाम जमाबंदी खतौनी व राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से इन्द्राज है व चला आ रहा है जो रोग एन्ट्री है जिसे हटाकर प्रतिवादी संख्या 34 से 43 के नाम की जगह वादीगण 1/3 हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है इसलिए दावा घोषणा खिलाफ प्रतिवादी के पेश है। वंश वक्षावली (सजरा) दावे के साथ पेश है। 62 वर्ष पूर्व संवत् 2014 के फागण बद बारस को प्रतिवादी 34 से 43 ने वादीगण के पक्ष में बही में यह लिखा पढी कर दी कि बेरा करनीसागर की जमीन बीघा साढे सात जिसमें तीसरा हिस्सा हमार है और यह जमीन हमने आपसे रूपये 400 अक्षरे चार सौ रूपये कलदार रोकड लेकर बेच दिया है हमारा किसी भी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है उक्त लिखा पढ़ी बही में करवाकर अपने हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान किये। उक्त बही की लिखापढी की फोटो प्रति व इसका हिन्दी अनुवाद वाद के साथ पेश है जिसे बाद का एक भाग माना जावे। यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण 34 से 43 के 1/3 हिस्से की जमीन पिछले 62 वर्षो से बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है पर प्रतिवादी संख्या 34 से 43 आउट ऑफ पजेशन होने से उनके खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है व 12 वर्षों की राईट टरिकर पजेशन की समयावधि भी समाप्त हो चुकी है व 62 वर्षों के कब्जे के आधार पर वादीगण उक्त में खातेदार काश्तकार हो चुके है व ऐसी घोषणा करवाने के अधिकारी है व इस रूप में 1/3 हिस्से की भूमि पर अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। इसलिए दावा घोषणा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वाद के पद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि बेरा करणीसागर उर्फ कनेर व उसका जाव की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं 7 से 33 का 1/6 हिस्सा व वादीगण का रेकर्ड में दर्ज 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 34 से 43 के नाम दर्ज 1/3 में भी वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार है इस प्रकार वादीगण वादग्रस्तः सम्पूर्ण भूमि के 1/2 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादी संख्या 1 से 33 का 1/2 हिस्से में काबिज खातेदार काश्तकार की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी के पेश है। वादीगण बाद घोषणा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) नैतारण (पाली)

बाद दुरस्ती रेकर्ड के अपने 1/2 हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाने के अधिकारी है जो बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के वादी के 1/2 हिस्से की भूमि का मौके पर अलग बंटवारा कर नेखमबन्दी कर पत्थरगढी की जावे व वादी के 1/2 हिस्से की भूमि का अलग खाता दर्ज किया जावे व वादी के हिस्से की भूमि नक्शा ट्रेस में जरिये तरमीम अलग दशार्थी जावे व हिस्से अनुसार लगान बांटा जावे इसलिए दावा तकास्मा आराजी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। तकास्मा आराजी के दावे में लेण्ड होल्डर राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार जैतारण आवश्यक पक्षकार है इसलिए उन्हे प्रतिवादी बनाया गया है उनके विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वादीगण वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से की भूमि में काबिज खातेदार काश्तकार है व बाद घोषणा व बाद तकास्मा वादीगण के 1/2 हिस्से की वादग्रस्त भूमि में वादीगण काश्त करे या करावें उसमें किसी प्रकार की दखल व दस्तअंदाजी करने का प्रतिवादीगण व उनके नौकर ऐजेन्ट, पावर ऑफ अर्टोनी हॉल्डर आदि को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। कोई यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया व वादी को बेदखल किया गया तो वादीगण को असीम हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। मालियत दावा बाबत घोषणा राशि 100 व बाबत तकास्मा आराजी राशि 100 व बाबत स्थाई निषेधाज्ञा की राशि 100 रूपये की कायम की जाकर इन पर निर्धारित कोर्ट फीस स्टाम्प बतौर रशूम के पेश है। बिनाय दावा दिनांक 15.09.2019 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से रेकर्ड दुरस्त करने का कहने व तकास्मा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने पर बमुकाम कांवलिया खुर्द तहसील जैतारण में पैदा हुआ जो अन्दर मयाद व श्रीमान के न्यायालय में क्षेत्राधिकार में है।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 45 को बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य के शपथ पत्र P/W 01 व गवाह का शपथ पत्र P/W 02 को पेश किया, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गये जो सा0मि0 है। प्रदर्श-2 का हिन्दी अनुवाद मय अनुवादक के शपथ-पत्र किया, सा0मि0 है। बहस वकील वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा कांवलिया खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली राज0 सम्वत् 2075 से 2078 (प्रदर्श-1) का अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं संगत विधिक प्रावधानों के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

1. वादीगण द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद अन्तर्गत धारा 88,53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर इस्तदुआ की कि ग्राम कांवलिया खुर्द तहसील जैतारण में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 466 रकबा 0–01 बीघा किस्म गै.बेरा व खसरा नम्बर 467 रकबा 7–10 बीघा किस्म बारानी दोयम में प्रतिवादी संख्या 34 से 43 का नाम जमाबंदी खतौनी व राजस्व रिकर्ड में गलत इन्द्राज है जिसे हटाकर प्रतिवादी संख्या 34 से 43 के नाम की जगह वादीगण का कब्जा काश्त होने से उन्हें वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर घोषणा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के जारी फरमावें। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 30 के 1/2,1/2 हिस्से का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के तकास्मा किया जावे एवं तदनुरुप प्रतिवादी संख्या 1 से 43 को स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे।

2. वादीगण द्वारा बतौर साक्ष्य वादी PW-1 वादी सत्यदेव पुत्र शुभकरण का साक्ष्य शपथ–पत्र, PW-2 वादी के पक्ष में साक्षी/गवाह भीखा खां पुत्र फरीद खॉ का साक्ष्य शपथ–पत्र, प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी ग्राम कांवलिया खुर्द सम्वत् 2075–2078, प्रदर्श–2 बही का चिह्नित भाग, प्रदर्श–2ए बही के चिह्नित भाग की प्रति को प्रदर्श करवाया गया। उक्त बही के सुसंगत भाग का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया गया।

3. प्रदर्श–1 जमाबन्दी ग्राम कांवलिया खुर्द सम्वत् 2075–78 में प्रतिवादी संख्या 34 से 43 वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से के खातेदार दर्ज है। वादीगण ने यह कथन किया कि "प्रतिवादी संख्या 34 से 43 का वादग्रस्त आराजी में वक्त जागीर वक्त जागीर जागीरदार होने से 1/3 हिस्से में नाम दर्ज हुआ जो एक गलत इन्द्राज है जबकि वादग्रस्त आराजी में सेटलमेन्ट पूर्व से वादीगण व उनके स्व. पिता शुभकरण का कब्जा–काश्त चला आ रहा है।" परन्तु वादीगण द्वारा उक्त कथन को साबित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। केवल मात्र लिखित कथन किये है। साथ ही वादीगण द्वारा प्रदर्श करवाये गये दस्तावेजों से भी वादीगण के कब्जे काश्त के संबंध में किये गये कथन साबित नहीं होते है और न ही उनके द्वारा कोई गिरदावरी की नकलें ही प्रस्तुत की हो जिससे कि उक्त कथन पुष्ट होता हो।

4. वादीगण द्वारा यह कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 34 से 43 ने वादीगण के पक्ष में बही में लिखा पढ़ी कर उनको बेचान कर दी है। प्रदर्श–2 व प्रदर्श–2ए बही के सुसंगत भाग का अवलोकन किया है। उक्त प्रदर्श दस्तावेज एक अपंजीकृत व स्टाम्प रहित दस्तावेज है साथ ही उक्त तथाकथित बेचान के संबंध में वादीगण द्वारा कोई पंजीकृत दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि यह साबित होता हो कि उक्त वादग्रस्त आराजी का विधिवत हस्तांतरण हुआ हो। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 34 से 43 के वादग्रस्त आराजी में अपना कब्जा होने के कथन किये है एवं स्वयं

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

के कब्जे काश्त के कथन किये है परन्तु उक्त कथनों को साबित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है।

5. वादीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि में 1/6 हिस्सा दर्ज है एवं प्रतिवादी संख्या 34 से 43 के नाम दर्ज भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होने से वादीगण वादग्रस्त आराजी सम्पूर्ण भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। परन्तु वादीगण द्वारा उक्त कथन के समर्थन में कोई उचित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि वादीगण के उक्त कथनों पर विश्वास किया जा सके।
6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण यह साबित करने में पूर्णतया विफल रहें है कि किस प्रकार वादी वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा अपने पक्ष में करवाने के अधिकारी है? साथ ही चुंकि वादीगण उक्तानुसार स्थिति साबित करने में विफल रहे है अतः इनके द्वारा वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से का बंटवाड़ा अपने पक्ष में करवाने व उक्तानुसार स्थाई निषेधाज्ञा चाहे जाने का अनुतोष सारहीन साबित होता है। हालांकि वादीगण वादग्रस्त आराजी का माफिक राजस्व रिकर्ड बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा करवाये जाने हेतु नवीन वाद लाने हेतु स्वतंत्र है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम अभिमत है कि वादीगण वाद को साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है। अतः वादी का वाद भली भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार किया जाना विधि-सम्मत समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीगण बाबत् घोषणा, तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वादीगण के पक्ष में भली-भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। डिक्री पृथक से बनाई जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज0

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 21/10/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:47 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्रीमति मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

–: वादीगणः– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. सत्यदेव पुत्र शुभकरण
2. महादेव पुत्र किशनदान
3. रामचन्द्र पुत्र किशनदान

जातियान चारण निवासीगण
कांवलिया खुर्द तहसील जैतारण
जिला पाली।

1. श्रवणसिंह पुत्र शक्तिदान
2. भंवरसिंह पुत्र रामसिंह
3. अर्जुनसिंह पुत्र भोपालदान
4. सज्जनसिंह पुत्र भोपालदान
5. मनोहरदान पुत्र अचलदान
6. धनदान पुत्र अचलदान (फौत) के का.मु.
   - 6/1. ललित कुमार पुत्र धनदान
   - 6/2. महेन्द्रसिंह पुत्र धनदान
   - 6/3. लक्ष्मीकंवर पत्नी धनदान
   - 6/4. सरोज कंवर पुत्री धनदान
7. रामसिंह पुत्र भोपालदान
8. हरिसिंह पुत्र शक्तिदान
9. ममायदान पुत्र शक्तिदान
10. शायर कंवर पत्नी शक्तिदान
11. गेपालदान पुत्र मुरारदान
12. सज्जनसिंह पुत्र भेरूदान
13. ओमप्रकाश पुत्र भेरूदान
14. गुलाबसिंह पुत्र भरूदान
15. राजेन्द्रसिंह पुत्र रिड़मलदान
16. सेणीदान पुत्र रिड़मलदान
17. चिरंजीवसिंह पुत्र रिड़मलदान
18. रतनदान पुत्र मदनदान
19. अणदु कंवर पुत्री पाबुदान के का.मु.
    - 19/1. खेतदान पुत्र मानदान व अणदु कंवर
20. थानकंवर पुत्री पाबुदान के का.मु.

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

20/1. जयसिंह पुत्र चांवडदान व थान कंवर

21. शायर कंवर पुत्री पाबुदान

22. मोतीसिंह पुत्र जुगतीदान के का.मु.

22/1. नरेन्द्रसिंह पुत्र मोतीसिंह

22/2. सुजानसिंह पुत्र

23. माधुसिंह पुत्र दानसिंह

24. गोविन्दसिंह पुत्र दानसिंह

25. मोहनसिंह पुत्र दानसिंह

26. किशनसिंह पुत्र दानसिंह

27. कैलाशदान पुत्र दानसिंह

28. सम्पत कंवर पुत्री दानसिंह

29. सज्जन कंवर पुत्री दानसिंह

30. मोहनसिंह पुत्र रामप्रताप

31. कैलाश दान पुत्र रामप्रताप

32. किशनसिंह पुत्र रामप्रताप के का.मु.

32/1. कालुसिंह पुत्र किशनसिंह

32/2. गोमसिंह पुत्र किशनसिंह

33. सहदेवसिंह पुत्र रामप्रताप जातियान चारण निवासीगण कांवलिया खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली।

34. गंगादान पुत्र अम्बादान के का.मु. गोपालसिंह दत्तक पुत्र गंगादान

35. जोरदान पुत्र ईश्वरदान (नाऔलाद फौत) के उत्तराधिकारी लक्ष्मणदान पुत्र गिरवरदान

36. जवाहर दान पुत्र ईश्वरदान (नाऔलाद फौत) के उत्तराधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

लक्ष्मणदान पुत्र गिरवरदान

37. शिम्भुदान पुत्र ईश्वरदान (नाऔलाद फौत) के उत्तराधिकारी लक्ष्मणदान पुत्र गिरवरदान

38. गायड़दान पुत्र नौरतदान के का.मु. लादुदान पुत्र गायड़दान

39. भंवरदान पुत्र भगतदान के का.मु. शिवराजसिंह पुत्र भंवरदान

40. बलदान पुत्र भगतदान के का.मु. शुभकरण पुत्र हरदान

41. हरदान पुत्र भगतदान के का. मु. शुभकरण पुत्र हरदान

42. मूलदान पुत्र किशोरदान के का.मु.

42/1. बिहारीसिंह पुत्र मूलदान

42/2. चन्द्रसिंह पुत्र मूलदान

42/3. सुखदेवसिंह पुत्र मूलदान

43. ओमदान पुत्र किशोरदान के का.मु. बिहारीसिंह पुत्र मूलदान जातियान चारण निवासीगण कुशलपुरा, तहसील लाडनू जिला नागौर।

44. तहसीलदार, जैतारण जिला पाली।

आर एम जी0 बी0 शाखा–आ. कालू तहसील जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 450/2019 (194/2019)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकास्मा आराजी अन्तर्गत धारा 88 ,92ए एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:47 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज [illegible] कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी व जानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्धायलाह

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, 92ए एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी होकर निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 21/10/2021 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	7.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	2.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	14.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	24.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:47 IST
Reason: SelfAttested